202/12:00

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या–742/2017/XXVII(8)/7(100)/2017
देहरादून :: दिनांक 19 सितम्बर,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक आयुक्त का राज्य कर विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग (राजपत्रित) सेवा संवर्ग का राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग (राजपत्रित) सेवा संवर्ग का राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017" है।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी।

(3) यह नियमावली राजपत्रित अधिकारी संवर्ग से सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2. उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्गीय पदों को शासित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय् विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग तथा मनोरंजन कर विभाग के राजपत्रित संवर्ग (उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

संविलियन हेतु पात्रता/ शर्तों का निर्धारण

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी मनोरंजन कर विभाग, राजपत्रित सेवा संवर्ग में उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग में समकक्ष उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के पदों पर संविलियन आदेश द्वारा करेंगे ।

(2) समकक्ष सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे, जो मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड राजपत्रित संवर्ग(उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त) में अपने पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि वही होगी, जो मनोरंजन कर राजपत्रित संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये गये कार्मिक का पदनाम संविलियन की तिथि से सहायक आयुक्त राज्य कर/उपायुक्त राज्य कर समझा जायेगा। ऐसी तिथि के पश्चात् संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को "उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली,2016" के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा।

(7) उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त राज्य कर के पद पर किया गया संविलियन सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिकों की मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग में परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना जायेगा। सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में तदनुसार ही उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या– 743 / 2017 / XXVII(8) / 7(100) / 2017
देहरादून :: दिनांक 19 सितम्बर,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत जिला मनोरंजन कर अधिकारियों का राज्य कर अधिकारी संवर्ग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जिला मनोरंजन कर अधिकारी संवर्ग का राज्य कर अधिकारी संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड जिला मनोरंजन कर अधिकारी संवर्ग का राज्य कर अधिकारी संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017" है ।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी ।

(3) यह नियमावली जिला मनोरंजन कर अधिकारी संवर्ग से राज्य कर अधिकारी संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग में राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी की सेवायें विनियमित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय् विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय राज्य कर विभाग के राज्य कर अधिकारी संवर्ग तथा मनोरंजन कर विभाग के राजपत्रित संवर्ग (जिला मनोरंजन कर अधिकारी) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

संविलियन हेतु पात्रता/ सेवा का निर्धारण

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी मनोरंजन कर विभाग, राजपत्रित सेवा संवर्ग में जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का राज्य कर अधिकारी सेवा संवर्ग में समकक्ष राज्य कर अधिकारी के पदों पर संविलियन आदेश द्वारा करेंगे।

(2) समकक्ष राज्य कर अधिकारी के संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे, जो मनोरंजन कर विभाग में जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर नियमानुसार मौलिक रूप से नियुक्त हो ।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि वही होगी, जो मनोरंजन कर राजपत्रित संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये जाने वाले कार्मिकों का पदनाम संविलियन की तिथि से राज्य कर अधिकारी समझा जायेगा । ऐसी तिथि के पश्चात् संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले राज्य कर अधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली,2009" के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा ।

(7) राज्य कर अधिकारी के पद पर किया गया संविलियन राज्य कर अधिकारी संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिकों की मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को संबंधित संवर्ग में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना जायेगा। राज्य कर अधिकारी संवर्ग में तदनुसार ही उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।